NT>

Title: Need to ensure that funds sanctioned for the Welfare of STs are used for their Welfare only particularly in Madhya Pradesh.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में आदिवासियों के विकास के लिये दी जाने वाली उपयोजना राशि को जनसंख्या के आधार पर उन क्षेत्रों में विकास के लिये खर्च किये जाने का प्रावधान है। परन्तु मध्य प्रदेश में इस राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जाता है तथा मध्य परिवर्तन कर गैर आदिवासी क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया जाता है। निरंतर मैंने इस बात के लिये मध्य प्रदेश व भारत सरकार को इसकी कोई निश्चित प्रावधान किये जाने हेतु अनुरोध किया था। परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। आज भी इस स्थिति में उपयोजना क्षेत्र की राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के हित में दी जाने वाली राशि को सीधी उनके हित में कोई विशेष योजनाबद्ध कार्यक्रम के आधार पर या सीधे उन आदिवासी जिलों के कलेक्टरों को सीधे भारत सरकार से निर्गत किये जाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।